राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– पकंज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–114/2021 जीसीएमएस नम्बर :– 2021/297

1. जगदीश
2. रामकुमार
3. भोला
4. प्रमोद पुत्रान महादा जाति ब्राहमण निवासीगण सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

...........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

...........प्रतिवादीगण

दावा–घोषणात्मक खातेदारी व खाता विभाजन

–::निर्णय::–

दिनांक :– 27/12/24

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम सुलताना अहीरान स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 189 के ख0 न0 751 रकबा 3.41है0 में वादीगण खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रत्येक वादीगण का हिस्सा 1/5 भाग दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि खातेदार भीमा देव पत्नी महादा दिनांक 12.06.2017 को जो वादीगण की माता है फौत हो गई। जिसके विधिक वारिसान वादीगण है जिसमें भीमा देवी पत्नी महादा का हिस्सा 1/5 भाग है।
3. यह कि उक्त भूमि में खातेदार भीमा देवी का 1/5 भाग है जिसमें विधिक वारिसान का हिस्सा प्रत्येक का 1/20 भाग का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।
4. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि में बाहमी बंटवारा कर रखा है व सभी खातेदार कास्तकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज कास्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

संयुक्त खातेदारी दर्ज होने से वादीगण अपनी भूमि का रूपान्तरण व सुधार कार्य के लिए खाता विभाजन करवाना चाहते है।

5. यह कि वादीगण की माता फौत होने के कारण वादीगण 1/5 हिस्से की घोषणा करवाने का हक व अधिकार है जिसमें वादगण का अपनी माता के हिस्से से 1/20 भाग है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है किः–

(क). कि वाके ग्राम सुलताना अहीरान स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 189 के खसरा नम्बर 751 रकबा 3.41 है0, भूमि में भीमा बेवा महादा का नाम हजफ कर उनके स्थान पर वादीगण को 1/20 भाग का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(ख). कि वाके ग्राम सुलताना अहीरान स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 189 के ख0 न0 751 रकबा 3.41है0 में वादगीण दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी स0 1 का 1/4 भाग वादी स0 2 का 1/4, वादी स0 3 का 1/4 भाग, वादी स0 4 का 1/4 भाग कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 25.11.2023 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 110 दिनांक 10.02.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2214 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम सुलताना अहीरान स्थित भूमि हाल खाता संख्या 189 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आदेश

'' न्यायालय वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 189 के ख0 न0 751 रकबा 3.41 है0 भूमि में भीमा बेवा महादा का नाम हजफ कर उनके स्थान पर वादीगण को 1/20 हिस्सा का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम क़िया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा ख0 न0 1073 के शेष 2.12 हैक्टर रकबा की खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रहेगी। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 27/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–114 / 2021 **जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 297**

जगदीश आदि **बनाम** राज. सरकार

<u>दावा – धोषणात्मक व खाता विभाजन</u>

वादी की ओर से **श्री विकास शर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में व** प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

'' न्यायालय वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 189 के ख0 न0 751 रकबा 3.41 है0 भूमि में भीमा बेवा महादा का नाम हजफ कर उनके स्थान पर वादीगण को 1 / 20 हिस्सा का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा ख0 न0 1073 के शेष 2.12 हैक्टर रकबा की खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रहेगी। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27/12/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना